

झारखण्ड विधान सभा

कार्य सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा

18 मार्च, 2016 (ई०)

शुक्रवार, तिथि:-

[पंचम-सत्र]

28 फाल्गुन, 1937 (श०)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11:00 बजे पूर्वाह्न)

-: प्रश्नोत्तर :-

- (01)- सभा के गत-सत्र के अतारांकित तथा अनागत प्रश्नों के उत्तर का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
- (02)- अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर।
- (03)- शून्यकाल की सूचनाएँ।

-: ध्यानाकर्षण-सूचनाएँ एवं उसपर सरकार का वक्तव्य :-

- (04)- डॉ० जीतू चरण राम, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-14.03.2016, 15.03.2016, 16.03.2016 एवं 17.03.2016 से स्थगित)
- (05)- सर्वश्री बादल, बिरंची नारायण एवं श्री राधाकृष्ण किशोर, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-15.03.2016, 16.03.2016 एवं 17.03.2016 से स्थगित)
- (06)- श्री प्रकाश राम एवं श्री अरुण चटर्जी, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-15.03.2016, 16.03.2016 एवं 17.03.2016 से स्थगित)
- (07)- सर्वश्री कुणाल षडंगी, नलिन सोरेन एवं श्री दशरथ गागराई, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (खाना, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-15.03.2016, 16.03.2016 एवं 17.03.2016 से स्थगित)
- (08)- श्री योगेश्वर महतो, डॉ० जीतू चरण राम एवं श्री नागेन्द्र महतो, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (भवन निर्माण विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-15.03.2016, 16.03.2016 एवं 17.03.2016 से स्थगित)

कृ०पृ०३०/--

- (09)- श्री स्टीफन मराण्डी,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-16.03.2016 एवं 17.03.2016 से स्थगित)
- (10)- श्री जयप्रकाश वर्मा एवं श्री रामकुमार पाहन,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (वन,पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-16.03.2016 एवं 17.03.2016 से स्थगित)
- (11)- सर्वश्री शिवशंकर उरौव,ताला मराण्डी एवं श्री योगेश्वर महतो,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (ग्रामीण विकास विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-16.03.2016 एवं 17.03.2016 से स्थगित)
- (12)- डॉ0 जीतू चरण राम,श्री साधु चरण महतो एवं श्री अनन्त कुमार ओझा, स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (खान एवं भू-तत्व विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-17.03.2016 से स्थगित)
- (13)- श्री प्रदीप यादव,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-17.03.2016 से स्थगित)
- (14)- श्री स्टीफन मराण्डी एवं डॉ0 अनिल मुरमू,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (खान एवं भू-तत्व विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-17.03.2016 से स्थगित)
- (15)- श्रीमती गीता कोड़ा,श्री शशिभूषण सामाड़ एवं श्री दशरथ गागराई,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-17.03.2016 से स्थगित)
- (16)- श्री राज कुमार यादव एवं श्री नलिन सोरेन,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-17.03.2016 से स्थगित)
- (17)- सर्वश्री रामकुमार पाहन,नागेन्द्र महतो एवं श्री लक्ष्मण टुडू,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (ग्रामीण विकास विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (18)- सर्वश्री आलोक कुमार चौरसीया,जय प्रकाश सिंह भोगता एवं श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार(कल्याण विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (19)- सर्वश्री दशरथ गागराई,अमित कुमार एवं श्री कुणाल षडंगी,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (ग्रामीण विकास विभाग) की ओर से वक्तव्य।

-: समितियों का गठन :-

- (20)- झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम के अनुसरण में समितियों का गठन (यदि हो)।

-: सभा के समक्ष प्रतिवेदनों का रखा जाना :-

- (21)- झारखण्ड विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का सभा-पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
- (22)- याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो)।

-: औपचारिक-कार्य :-

- (23)- प्रवर समिति के सभापति डॉ० नीरा यादव, प्रभारी मंत्री, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा “झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015” पर गठित प्रवर समिति के प्रतिवेदन का सभा-पटल पर उपस्थापित करेंगी।

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016

- (24)- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री, डॉ० नीरा यादव प्रस्ताव करेंगी कि “झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015” पर गठित प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित “झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016” पर विचार हो।
- (25)- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री, डॉ० नीरा यादव प्रस्ताव करेंगी कि उक्त प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित “झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016” स्वीकृत हो।

-: विधायी-कार्य :-

अमिटी विश्वविद्यालय विधेयक, 2016

- (26)- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री, डॉ० नीरा यादव, प्रस्ताव करेंगी कि “अमिटी विश्वविद्यालय विधेयक, 2016” को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (27)- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री, डॉ० नीरा यादव, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगी।
- (28)- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री, डॉ० नीरा यादव, प्रस्ताव करेंगी कि “अमिटी विश्वविद्यालय विधेयक, 2016” पर विचार हो।
- (29)- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री, डॉ० नीरा यादव, प्रस्ताव करेंगी कि “अमिटी विश्वविद्यालय विधेयक, 2016” स्वीकृत हो।

कृ०पृ०३०/---

(04)

प्रज्ञान इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक, 2016

- (30)- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री, डॉ० नीरा यादव, प्रस्ताव करेंगी कि “प्रज्ञान इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक, 2016” को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (31)- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री, डॉ० नीरा यादव, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगी।
- (32)- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री, डॉ० नीरा यादव, प्रस्ताव करेंगी कि “प्रज्ञान इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक, 2016” पर विचार हो।
- (33)- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री, डॉ० नीरा यादव, प्रस्ताव करेंगी कि “प्रज्ञान इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक, 2016” स्वीकृत हो।

झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् विधेयक, 2016

- (34)- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री, डॉ० नीरा यादव, प्रस्ताव करेंगी कि “झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् विधेयक, 2016” को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (35)- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री, डॉ० नीरा यादव, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगी।
- (36)- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री, डॉ० नीरा यादव, प्रस्ताव करेंगी कि “झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् विधेयक, 2016” पर विचार हो।
- (37)- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री, डॉ० नीरा यादव, प्रस्ताव करेंगी कि “झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् विधेयक, 2016” स्वीकृत हो।

आईसेक्ट विश्वविद्यालय विधेयक, 2016

- (38)- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री, डॉ० नीरा यादव, प्रस्ताव करेंगी कि “आईसेक्ट विश्वविद्यालय विधेयक, 2016” को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (39)- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री, डॉ० नीरा यादव, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगी।
- (40)- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री, डॉ० नीरा यादव, प्रस्ताव करेंगी कि “आईसेक्ट विश्वविद्यालय विधेयक, 2016” पर विचार हो।
- (41)- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री, डॉ० नीरा यादव, प्रस्ताव करेंगी कि “आईसेक्ट विश्वविद्यालय विधेयक, 2016” स्वीकृत हो।

--: गैर-सरकारी संकल्प :-

- (42)- लोकहित के विषयों पर गैर-सरकारी संकल्प।

कृ०पृ०३०/--

प्रश्नों के संबंध में विवरण :-

- (43)- वर्तमान सत्र में प्राप्त प्रश्नों के विवरण का सभा नेता द्वारा पढ़ा जाना।
(44)- अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो)।
(45)- अध्यक्ष का समापन भाषण।

बिनय कुमार सिंह

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०१/२०१६-२२८६/वि०स०, राँची, दिनांक-...।३...मार्च, २०१६ ई०।
प्रतिलिपि:- माननीय सदस्यगण, झारखण्ड विधान सभा, राँची/माननीय मुख्यमंत्री/
माननीय मंत्रिगण/मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/
महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/ लोकसभा, नई दिल्ली/झारखण्ड सरकार के समस्त विभागों
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/3/2016

(सरोज कुमार)

अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०१/२०१६-२२८६/वि०स०, राँची, दिनांक-...।३...मार्च, २०१६ ई०।
प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय
कार्यालय को कृपया: माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ
प्रेषित।

19/3/2016

(सरोज कुमार)

अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०१/२०१६-२२८६/वि०स०, राँची, दिनांक-...।३...मार्च, २०१६ ई०।
प्रतिलिपि:- झारखण्ड विधान-सभा के सभी पदाधिकारीगण/वेबसाइट शाखा/
पुस्तकालय शाखा एवं जनसम्पर्क शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/3/2016

(सरोज कुमार)

अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची।

19/3/2016

-: प्रश्नों के संबंध में विवरण :-

प्रश्नों के संबंध में विवरण :-